

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 488]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 13, शक 1937

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-3-40-2015-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

“अनुसूची-चार
(नियम-14 देखिये)

उक्त नियमों में, अनुसूची-चार में, अनुक्रमांक 3, 4, 5 व 6 एवं उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक व उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सरल क्रमांक	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो	सेवा अनुभव	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति या चयन की प्रक्रिया	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	वन विभाग	सहायक ग्रेड-तीन (वृत्त एवं संभाग कार्यालय)	सहायक ग्रेड-दो पद हेतु 5 वर्षों की नियमित सेवा एवं लेखापाल पद हेतु लेखा परीक्षा उत्तीर्ण तथा 8 वर्षों की नियमित सेवा	सहायक ग्रेड-दो/लेखापाल (वृत्त एवं संभाग कार्यालय)	ज्येष्ठता-सह-योग्यता	तीन संभागीय वन अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	वन विभाग	सहायक ग्रेड-तीन (मुख्यालय)	सहायक ग्रेड-दो पद हेतु 5 वर्षों की नियमित सेवा एवं लेखापाल पद हेतु लेखा परीक्षा उत्तीर्ण तथा 8 वर्षों की नियमित सेवा	सहायक ग्रेड-दो/ लेखापाल (मुख्यालय)	ज्येष्ठता-सह-योग्यता	तीन संभागीय वन अधिकारी
5.		सहायक ग्रेड-दो (मुख्यालय)	सहायक ग्रेड-दो एवं सहायक ग्रेड-तीन पदों की सेवा अवधि को जोड़कर 8 वर्षों की नियमित सेवा तथा लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण	लेखापाल (मुख्यालय)	तदैव	तदैव
6.		सहायक ग्रेड-दो (वृत्त एवं संभाग कार्यालय)	—तदैव—	लेखापाल (वृत्त एवं संभाग कार्यालय)	तदैव	तदैव

No. F-3-40-2015-X-1.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Class-III (Ministerial) Forest Service Recruitment Rules, 2000, namely :—

AMENDMENT
"SCHEDULE-IV
(see rule-14)

In the said rules, in Schedule-IV, for serial number 3, 4, 5 and 6, and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

Sr. No.	Name of Deptt.	Name of Service or post from which promotion is to be made	Service experience	Name of service or post to which promotion is to be made	Procedure for promotion or selection	Name of members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Forest	Assistant Grade-III (Circle Office & Division Office)	For Assistant Grade-II Regular Service of 5 years and for Accountant post, Accounts training pass and regular service of 8 years	Assistant Grade-II/ Accountant (Circle Office & Division Office)	Seniority cum Merit	Three Divisional Forest Officers
4.		Assistant Grade-III (Head Office)	-do-	Assistant Grade-II/ Accountant (Head Office)	-do-	-do-
5.		Assistant Grade-II (Head Office)	Combined regular service of 8 years on the posts of Assistant Grade-III and Assistant Grade-II and Accounts training pass	Accountant (Head Office)	-do-	-do-
6.		Assistant Grade-II (Circle Office & Division Office)	-do-	Accountant (Circle Office & Division Office)	-do-	-do-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.